

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरुण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 128/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
धोकलराम पुत्र हरकाराम जाति मेगवाल निवासी संतोष नगर, ईशरू, तहसील बापिणी जिला जोधपुर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बापिणी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या
207-ए/2019 अनवान तहसीलदार बापिणी बनाम रूपाराम वगैरा मे दिनांक
18-2-2019 को पारित किया गया ।

उपस्थिति:-

- 1-श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
- 2-राजकीय अधिवक्ता रेस्पों की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 4-12-2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पों तहसीलदार बापिणी की ओर से राज्य सरकार राजस्व विभाग (गुप-6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10-8-2016 के अनुसरण मे रास्तो की समस्याओ के समाधान हेतु चलाये गये रास्ता अभियान जिसमे मौके का सर्वे करवाकर मौके पर चालू रास्तो के राजस्व रेकर्ड मे अंकन करवाने हेतु पटवार मण्डल ईशरू के राजस्व ग्राम संतोक नगर के प्रस्ताव संख्या 2 राईकानाथजी की समाधि से धनजीरो राईको की ढाणियां तक खसरा नंबर 14, 11, 101, 114, 113, 120, 124 व 123 मे से प्रस्तावित रकबा क्रमशः 1.00, 0.12, 1.10, 1.03, 0.07, 1.00, 0.10 एवं 0.06 बीघा मे रास्ता दर्ज करवाने का प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष प्रेषित किया गया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बापिणी द्वारा प्रस्तावित रकबे की भूमि गैर मुमकीन रास्ता दर्ज के रूप मे दर्ज करने के आदेश दिनांक 18-2-2019 को पारित करते हुए राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शे मे अंकन करने के आदेश पारित किये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

अपीलांट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बापिणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज कर पक्षकारान को नोटिस जारी किये बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही खातेदारान की खातेदारी की भूमि मे से सीधे रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जिससे अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही प्रदान नही किया गया इसलिए अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत एवं धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की अनदेखी



राजस्थान राज्य
जोधपुर

करते हुए पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्यायिक परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि बिना सहमति के खातेदारों की खातेदारी की भूमि को गैर मुमकीन रास्ता में दर्ज नहीं किया जा सकता है तथा यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट के खातेदारी के खेतों के टुकड़े करते हुए रास्ते दर्ज करने बाबत जो आदेश पारित किया है, जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है ।

अंत में वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18-2-2019 को अपास्त कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारों की उपस्थिति में रास्तों का मौका निरीक्षण कर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय पारित करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्तों की समस्याओं के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के तहत तहसीलदार बापिणी ने उनके अधीन ऐसे कदीमी/चालू रास्तों जो मौके पर चालू हैं तथा आमजन के उपयोग में आ रहा है परंतु उनका रास्तों के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं है, ऐसे रास्तों को चिन्हित कर, रास्तों के रूप में उपयोग में आ रही भूमि पटवार मण्डल ईशरू एवं संतोकनगर के राजस्व ग्राम संतोक नगर के राईकानाथजी की समाधि से धनजीरो राईको की ढाणियां तक खसरा नंबरान 14, 11, 101, 114, 113, 120, 124 व 123 में से प्रस्तावित रकबा क्रमशः 1.00, 0.12, 1.10, 1.03, 0.07, 1.00, 0.10 एवं 0.06 बीघा की किस्म गै0मु0रास्ता राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं नक्शे में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष विधिवत दस्तावेजात के साथ प्रेषित किया जाने पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से उसके विरुद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18-2-2019 का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाधीन आदेश पारित करने के संबंध में अपनाई की प्रक्रिया आदि का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि तहसीलदार बापिणी ने उनके पत्रांक 293 दिनांक 14-2-2019 के सलंगन कटाणी रास्तों के प्रस्ताव ग्राम संतोकनगर पटवार मण्डल ईशरू में राईकानाथ जी की समाधि से धनजीरो राईको की ढाणियां तक खसरा नंबरान 14, 11, 101, 114, 113, 120, 124 व 123 में से चल रहे चालू रास्तों जो आवागमन के काम आ रहे हैं परंतु अभी तक खातेदारों की खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है, उनका राज्य सरकार राजस्व विभाग (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10-8-2016 के अनुसरण में राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने का निवेदन किया तथा प्रस्ताव के साथ में खातेदारों के खातेदारी बाबत जमाबंदी की नकले, राजस्व नक्शा, प्रस्तावित रास्तों का रकबा तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, मौका फर्द आदि सलंगन प्रस्तुत किये ।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां ने उसी दिन तहसीलदार बापिणी द्वारा प्रस्ताव में वर्णित रकबे की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बापिणी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव प्रार्थना पत्र को धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज अवश्य किया है परंतु किसी भी खातेदार को बिना सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये सीधे ही उनके खातेदारी में से प्रस्तावित रकबा कम करते हुए गै0मु0रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जबकि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि किसी भी खातेदार के खातेदारी के रकबे में कमी-बेशी करने से पूर्व खातेदार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इसकी पालना किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो समर्थन योग्य नहीं माना जा सकता है।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ मौका फर्द भी प्रस्तुत की गई है उक्त मौका फर्द में भी अपीलांत धोकलराम के कोई हस्ताक्षर या अंगुठा निशान नहीं पाये गये हैं, ऐसे में तैयार की गई मौका रिपोर्ट भी अपीलांत की अनुपस्थिति में तैयार की है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18-2-2019 में से मात्र अपीलांत की ग्राम संतोकनगर स्थित खातेदारी के खसरा नंबर 11 में से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का रकबा 0.12 बीघा को गै0मु0रास्ते में दर्ज करने बाबल पारित किये गये निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बापिणी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांत की उपस्थिति में उसके खातेदारी के खेत में से चल रहे कंदीमी/चालू रास्ते का मौका निरीक्षण कर, उसे सुनकर तथा मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर अपीलांत के हस्ताक्षर करवा कर यदि उसके खातेदारी के खसरा नंबर 11 में से रास्ता चालू है तथा आवागमन के उपयोग में आ रहा है तो उसे बंद किये बिना उसका प्रस्ताव पृथक से बनाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां को प्रेषित करें तथा अधीनस्थ न्यायालय उसके अनुरूप पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 4-12-2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अरुण पुरोहित)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर